XI वर्ष 2015-16 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में 12.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जहां वर्ष 2015-16 में आय में 2.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं व्यय में 12.23 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है, यह वृद्धि मुख्यत: एजेंसी बैंकों को प्रदत्त एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति करने हेतु किए गए प्रावधान के कारण हुई है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹658.96 बिलियन रुपए की तुलना में ₹658.76 बिलियन था जो 0.03 प्रतिशत की मामूली कमी दर्शाता है।

XI.1 रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XI.2 वर्ष 2015-16 के दौरान तुलनपत्र के समग्र आकार में ₹3538.52 बिलियन रुपए अर्थात 12.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹28,891.59 बिलियन था जो 30 जून 2016 को बढ़कर ₹32,430.11 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी निवेश और घरेलू निवेश में क्रमश: 7.98 प्रतिशत और 35.64 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा है। जबकि देयता पक्ष में वृद्धि की वजह परिचालन में नोटों की संख्या में वृद्धि तथा अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में क्रमश: 15.92 प्रतिशत तथा 14.77 प्रतिशत का इज़ाफा होना रहा है। 30 जून 2016 को कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 24.59 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 75.41 प्रतिशत थीं, इसकी तुलना में 30 जून 2015 को ये क्रमशः 21.86 प्रतिशत और 78.14 प्रतिशत थीं।

XI.3 इस वर्ष कोई राशि आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित नहीं की गई है। ₹10 बिलियन की अतिरिक्त राशि के प्रावधान से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि.

सारणी XI.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(बिलियन ₹)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
ए) आय	531.76	743.58	646.17	792.56	808.70
बी) आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण (i+ii)	270.25	287.94	0.00	0.00	0.00
(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	246.77	262.47	0.00	0.00	0.00
(ii) आस्ति विकास निधि (एडीफ)#	23.48	25.47	0.00	0.00	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	261.51	455.63	646.17	792.56	808.70
डी) कुल व्यय@	101.37	125.49	119.34	133.56	149.90
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	160.14	330.14	526.83	659.00	658.80
एफ) निधियों को अंतरण *	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	160.10	330.10	526.79	658.96	658.76
सकल आय से व्यय को घटाकर सरकार को अंतरित अधिशेष का प्रतिशत	37.20	53.40	99.99	99.99	99.99

: 30 जून, 2015 से आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण को आय से नहीं घटाया जा रहा है। बल्कि, यदि आवश्यक हुआ तो प्रावधान किए जा रहे हैं, और उसके बाद आकस्मिकता निधि/आस्ति विकास निधि में अंतरण किया जाता है।

@ : इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु 10 बिलियन रुपए का प्रावधान शामिल है।

* : पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

(बीआरबीएनएमपीएल) की पूंजी में अंशदान देने हेतु किया गया है और उसे आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में अंतरित किया गया है तथा समग्र अधिशेष राशि ₹658.76 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित की गई है।

XI.4 भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियों के स्तर एवं पर्याप्तता तथा अधिशेष के संवितरण नीति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2013-14 में गठित तकनीकी समिति [अध्यक्षः श्री वाई. एच. मालेगाम (तकनीकी समिति II)] ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि घरेलू प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर लाया जाए। तदनुसार, घरेलू प्रतिभूतियों को कतिपय अपवादों सहित 31 जुलाई, 2015 से उचित मूल्य पर लाया गया है और उनका दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है।

XI.5 वर्ष 2015-16 के लिए तुलनपत्र और आय-विवरण, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-विवरण तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैंः

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2016 का तुलनपत्र

(राशि बिलियन ₹)

देयताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.11	0.14
अन्य आरक्षित निधि	1	2.22	2.24	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	578.84	662.23
जमाराशि	2	5,186.86	5,065.28	निवेश-विदेशी -बैंकिंग विभाग	7	7,276.29	6,727.84
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	8,905.03	10,220.38	निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग	8	5,174.97	7,022.85
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	802.32	520.41
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	13.20	23.20
				अन्य आस्तियां	11	313.43	396.28
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	14,732.43	17,077.16	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	637.23	729.07
				रुपये सिक्के		1.99	1.71
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	7	14,082.75	16,335.92
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	10.46	10.46
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	**28,891.59**	**32,430.11**		**कुल आस्तियां**	**28,891.59**	**32,430.11**

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2016 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि बिलियन ₹)

आय	अनुसूची	2014-15	2015-16
ब्याज	12	744.82	749.24
अन्य	13	47.74	59.46
	कुल	**792.56**	**808.70**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		37.62	34.21
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.98	1.09
एजेंसी प्रभार	14	30.45	47.56
ब्याज		0.01	0.01
कर्मचारी लागत		40.58	44.77
डाक और संचार प्रभार		0.91	0.78
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.34	0.33
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.14	1.40
मरम्मत और रखरखाव		1.04	1.01
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.03	0.02
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय		0.03	0.03
विधिक प्रभार		0.04	0.07
विविध व्यय		7.97	6.42
मूल्यह्रास		2.42	2.20
प्रावधान		10.00	10.00
	कुल	**133.56**	**149.90**
उपलब्ध शेष राशि		**659.00**	**658.80**
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि [1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		0.01	0.01
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	**658.96**	**658.76**

1. *ये निधियां नाबार्ड के पास हैं*

एस रामास्वामी	एन एस विश्वनाथन	एस एस मूंदड़ा	आर. गांधी	ऊर्जित आर. पटेल	रघुराम जी. राजन
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलनपत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि बिलियन रुपये में)

		2014-15	2015-16
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधि**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	0.24	0.25
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	1.98	1.99
	कुल	**2.22**	**2.24**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.00
	(ii) राज्य सरकार	0.43	0.42
	उप-योग	**1.44**	**1.42**
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,711.94	4,031.02
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	32.22	33.85
	(iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक	69.97	75.97
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	10.71	13.20
	(v) अन्य बैंक	122.01	140.00
	उप-योग	***3,946.85***	***4,294.04***
	(सी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	40.75	43.80
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि	78.75	105.85
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की राशियां	14.71	15.21
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	4.33	11.43
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	1.45	3.20
	(vi) पारस्परिक निधि	0.01	0.01
	(vii) अन्य	1,098.57	590.32
	उप-योग	***1,238.57***	***769.82***
	कुल	**5,186.86**	**5,065.28**
अनुसूची 3:	**अन्य देयताएं और प्रावधान**		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,216.14	2,201.83
	(ii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	217.61	227.61
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआरए)	5,591.93	6,374.78
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियां	32.14	132.66
	(v) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां	0.00	391.46
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा (एफसीवीए)	0.00	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.39	14.69
	(viii) देय राशियों के लिए प्रावधान	16.81	32.33
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	140.05	157.66
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	658.96	658.76
	(xi) देय बिल	0.17	0.20
	(xii) विविध	30.83	28.40
	कुल	**8,905.03**	**10,220.38**
अनुसूची 4:	**निर्गमित नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.11	0.14
	(ii) परिचालन में नोट	14,732.32	17,077.02
	कुल	**14,732.43**	**17,077.16**

		2014-15	2015-16
अनुसूची 5:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैं के पास)**		
	(i) नोट	0.11	0.14
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.11**	**0.14**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण के सिक्के और बुलियन**		
	(i) बैंकिंग विभाग	578.84	662.23
	(ii) निर्गम विभाग (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	637.23	729.07
	कुल	**1,216.07**	**1,391.30**
अनुसूची 7:	**निवेश - विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	7,276.29	6,727.84
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	14,082.75	16,335.92
	कुल	**21,359.04**	**23,063.76**
अनुसूची 8:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	5,174.97	7,022.85
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	10.46	10.46
	कुल	**5,185.43**	**7,033.31**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	25.77	19.86
	उप-योग	***25.77***	***19.86***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	732.03	450.92
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक	0.45	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	44.07	49.63
	उप-योग	***776.55***	***500.55***
	कुल	**802.32**	**520.41**
अनुसूची 10:	**सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक	4.50	14.50
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0.20	0.20
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि.	8.00	8.00
	कुल	**13.20**	**23.20**
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	3.92	3.49
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	206.26	228.91
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	3.16	3.15
	बी. अन्य मदों पर	203.10	225.76
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा	94.33	154.97
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए)	0.00	0.00
	(v) विविध	8.92	8.91
	कुल	**313.43**	**396.28**

		2014-15	2015-16
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	436.30	430.79
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	28.29	5.06
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.88	1.32
	(iv) घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ	139.15	21.68
	(v) मूल्यह्रास	-98.28	0.00
	(vi) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	14.06	3.98
	(vii) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट	0.00	42.58
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	223.42	243.83
	कुल	**744.82**	**749.24**
अनुसूची 13:	**आय-अन्य**		
	(i) विदेशी आस्तियों पर प्राप्त छूट से	4.40	4.94
	(ii) विदेशी मुद्रा लेनदेन विनिमय से	29.62	38.36
	(iii) कमीशन	13.38	15.31
	(iv) प्राप्त किराया	0.05	0.05
	(v) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.02	0.02
	(vi) प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	0.27	0.78
	कुल	**47.74**	**59.46**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	29.63	46.93
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	0.33	0.35
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार)	0.00	0.01
	(iv) बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.49	0.27
	कुल	**30.45**	**47.56**

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाएं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार हैं।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के अट्ठारह लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते सीएनके एंड एसोसिएट,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961डबल्यू)

मनीष संपत
भागीदार
सदस्यता सं. 101684

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101569डबल्यू)

बृजमोहन अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 33254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 11 अगस्त, 2016

30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।''

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

ए) बैंक नोटों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।

ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।

जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।

आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

(बी) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों में अपनाई गई लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। शेयर पर लाभांश आय गणना उपचित आधार पर उस समय की जाती है जब उसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। दावों, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनःमूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन बाजार एसोसिएशन (एलबीएमए) के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में डाला जाता है ।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खजाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोट्स में निवेश तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है) को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास को निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियों में दर्ज किया जाता है। आईआरए में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन आकस्मिकता निधि में वापस जमा किया जाता है।

विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनःप्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा/स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक के मध्यवर्ती परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जिसे वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) में राशि प्रतिपक्षी जमा की जाती है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिक निधि के तहत रखा जाना और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाना अपेक्षित होता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रेपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय खाते में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार की जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेनदेन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेनदेन का कार्य बैंक द्वारा 2015-16 से अपने हस्तक्षेपी परिचालनों के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणास्वरूप होने वाले लाभ/हानि को आय खाता में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियां :

नीचे (डी) एवं (ई) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर रूपया प्रतिभूतियों का मूल्य 2015-16 से माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के आधार पर लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए)-रुपया प्रतिभूति' में दर्ज किया जाता है। आईआरए में जमा शेष को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रूपया प्रतिभूतियों की बिक्री/शोधन पर, आईआरए में धारित बिक चुकी/शोधित प्रतिभूतियों से संबंधित मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाता में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियां, निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित आस्तियों को छोड़कर दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और उपदान एवं अधिवर्षिता निधि, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण (सेवानिवृत्त कर्मचारी), चिकित्सा सहायता निधि, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए) जैसी विभिन्न स्टॉफ निधियों के लिए चिह्नित रूपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इनको परिशोधित लागत मूल्य पर धारित किया जाता है।

(ई) निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित ब्याज-रहित रूपया प्रतिभूतियों को लागत मूल्य पर धारित किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

वर्ष 2014-15 से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो लेनदेन को ऋण माना जा रहा है और तदनुसार इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि 'रिवर्स रेपो' के अंतर्गत होने वाले लेनदेन को जमा राशि माना जा रहा है और इनको 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) कंप्यूटरों, माइक्रो-प्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹100,000 और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर *इत्यादि* के संबंध में मूल्यह्रास, सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर *इत्यादि*	20.00 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर *इत्यादि*	33.33 प्रतिशत

(सी) ₹1,00,000 से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य

₹ 10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रानिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की जाती है।

(डी) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹100,000 एवं उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की जाती है।

(ई) मूल्यह्रास का प्रावधान, वर्ष के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि के आधार पर किया जाता है।

(एफ) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यह्रास :

i. वर्तमान आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से लेखा बहियों में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यह्रास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;

ii. वर्तमान आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यह्रास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(जी) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के मूल्यह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में जुलाई 2015 में निम्नानुसार संशोधन किया गया:

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की पट्टा अवधि के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि वे सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. अल्पावधि (अर्थात 99 वर्ष तक) के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यह्रास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है।

ii. वर्तमान ऐसे भवनों के मामलों में, जिनकी सिर्फ लिखी गई कीमत (डब्ल्यूडीवी) ही उपलब्ध हो और मूल लागत तथा एकत्र मूल्यह्रास पृथक से उपलब्ध नहीं हो, यह माना जाता है कि ऐसे भवनों का आधा उपयोगी जीवन-चक्र (अर्थात 15 वर्ष) पूर्ण हो गया है और उनका 15 वर्षों का जीवन-चक्र शेष है। डब्ल्यूडीवी को, 30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, इस तरह के वर्तमान भवनों की लागत मानी जाएगी और भवन के शेष जीवन-चक्र के दौरान इसका परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाएगा।

iii. यदि भवन का पूर्ण किया गया जीवन-चक्र ज्ञात हो और यदि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह 30 वर्षों से कम होता है, तो 30 जून 2015 की स्थिति में भवन के डब्लूडीवी का परिशोधन भवन के शेष उपयोगी जीवन-चक्र, अर्थात 30 जून 2015 की स्थिति में पूर्ण वर्षों की संख्या को 30 से घटाने पर शेष वर्षों के दौरान किया जाएगा।

iv. यदि 30 जून 2015 को भवन 30 वर्ष से अधिक पुराना है, तो भवन के डब्ल्यूडीवी का पूर्णतः परिशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही, अर्थात 2015-16 में किया जा सकता है।

(एच) भवनों की क्षति : क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने की जरूरत है :

i. *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा :* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई

जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यह्रास के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित करने की जरूरत होगी।

ii. *जिन भवनों को हटाया/छोड़ दिया गया है :* ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त करने योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रैप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाया जाना है। यदि यह राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाना चाहिए। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री मूल्य)/ढहाए जाने की लागत को स्क्रैप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी आस्ति को 'अन्य आस्ति' - 'विविध' मद के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता अनुमानित इकाई ऋण प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

XI.6 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XI.6.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

(i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹ 0.05 बिलियन बनी हुई है।

(ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' की मद का एक हिस्सा है।

(iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹ 10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 0.25 बिलियन थी।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹ 500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक

सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹ 10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹1.99 बिलियन थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियो के लिए प्रति वर्ष 10-10 मिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है।

(iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और नाबार्ड *इत्यादि*, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) तथा रिवर्स रेपों के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशि ₹5,065.28 बिलियन थी जिसमें 30 जून 2015 की कुल जमाराशि ₹5,186.86 बिलियन की तुलना में 2.34 प्रतिशत की कमी हो गई थी।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों की धारित राशियां क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.42 बिलियन रहीं जो कुल मिलाकर ₹1.42 बिलयन थीं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

बैंक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा चालू खाता में धारित जमाराशि ₹ 4,294.04 बिलियन थी।

सी. *जमाराशियां-अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बकाया रिवर्स रेपो की राशियां शामिल होती हैं। डीईए निधि की स्थापना जमाकर्ताओं की रुचि में वृद्धि करने और ऐसे अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए वर्ष 2013-14 में की गई थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में जमाराशि ₹ 105.85 बिलियन थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 'जमाराशियां-अन्य' के अंतर्गत राशि ₹ 769.82 बिलियन रही। इस राशि में 30 जून 2015 की स्थिति में धारित ₹ 1,238.57 बिलियन की तुलना में 37.85 प्रतिशत की कमी आई। यह कमी प्राथमिक रूप से रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत बकाया राशि में कमी आने के कारण देखी गई।

(v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं - आकस्मिक निधि (सीएफ), आस्ति विकास निधि (एडीएफ), उपदान एवं अधिवर्षिता निधियां, पुनर्मूल्य खाते अर्थात् मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)-विदेशी प्रतिभूतियां, आईआरए- रुपए प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) तथा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता के लिए

प्रावधान (पीएफसीवीए) में जमाराशियां। आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) क्रमशः अप्रत्याशित आकस्मिकताओं एवं आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए तथा क्रमश: सहयोगी एवं सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जबकि 'अन्य देयताओं एवं प्रावधान' के शेष घटक; जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)-विदेशी प्रतिभूतियों, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए)-रूपया प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) एवं वायदा संविदा मूल्यांकन खाता के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए); बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 'अन्य देयताओं और प्रावधान' के अंतर्गत राशि, 30 जून 2015 के ₹ 8,905.03 बिलियन से 14.77 प्रतिशत बढ़कर ₹10,220.38 बिलियन हो गई। यह वृद्धि प्राथमिक रूप से सीजीआरए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूति में वृद्धि होने एवं आईआरए-रुपया प्रतिभूतियों का नया लेखा-शीर्ष जुड़ जाने के कारण हुई।

ए. *आकस्मिक निधि*

आकस्मिक निधि, अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है, इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि में जमाराशि ₹ 2,216.14 बिलियन थी जो 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार घटकर 2,201.83 बिलियन रह गई। यह कमी वायदा संविदाओं के मूल्यन में बाजार मूल्य आधारित ₹14.30 बिलियन के घाटे के कारण हुई, जिसका प्रभार 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि पर डाला गया, किंतु आगामी वर्ष के प्रथम कार्य-दिवस पर यह प्रभार वापस लिया गया।

सारणी XI.2 : आकस्मिक निधि एवं आस्ति विकास निधि में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2
2015	2216.14*	217.61	2433.75	8.4
2016	2201.83*	227.61	2429.44	7.5

* आकस्मिक निधि में कमी 30 जून 2015 एवं 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा में बाजार मूल्य पर हुए घाटे के कारण उसे वायदा संविदा मूल्यन खाते के नामे राशि प्रभारित करने से हुई।

बी. *आस्ति विकास निधि*

1997-98 में सृजित आस्ति विकास निधि आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने तथा अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग रखी जाने वाली राशि को दर्शाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) में अतिरिक्त पूंजीगत अंशदान के लिए प्रावधान किए गए ₹10 बिलियन की राशि को एडीएफ में अंतरित किए जाने से 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार एडीएफ में जमाराशि बढ़कर 227.61 बिलियन हो गई, जो 2014-15 में 217.61 बिलियन थी।

सी. *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता*

विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में नहीं लिया जाता बल्कि इनको मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) एफसीए और स्वर्ण के मूल्यन से उत्पन्न होने वाले संचित अप्राप्त निवल लाभ को दर्शाता है। इसलिए इसकी जमाराशि में आस्ति आधार का आकार, मुद्रा की दरों और स्वर्ण मूल्य में घटबढ के साथ परिवर्तन होता है। 2015-16 के दौरान सीजीआरए की जमाराशि 14 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह जमाराशि ₹5,591.93 बिलियन थी जो 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹6,374.78 बिलियन हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपया का मूल्यह्रास होने (अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मूल्य वृद्धि का असर भारतीय रुपए के मूल्यह्रास होने के कारण निष्प्रभावी रहा है) और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई।

डी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियां*

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। आईआरए-विदेशी प्रतिभूति में शेष राशि 30 जून 2015 के ₹32.14 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को ₹132.66 बिलियन हो गई, इसका कारण बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल में कमी होना था।

ई. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - रुपया प्रतिभूति*

जुलाई 2015 से बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लेख के अनुसार अपवाद के साथ) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - रुपया प्रतिभूतियों में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आईआरए में शेष राशि ₹391.46 बिलियन थी।

एफ. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता और वायदा संविदा मूल्यन खाते के लिए प्रावधान*

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य (एमटीएम) में ₹14.69 बिलियन की निवल हानि हुई, जिसे पीएफसीवीए में प्रतिपक्षी जमा करने के साथ एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹14.69 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2016 को आकस्मिकता निधि से समायोजित किया गया और इसे 01 जुलाई 2016 को रिवर्स किया गया। तदनुसार, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में शेष राशि शून्य और पीएफसीवीए में शेष ₹14.69 बिलियन थीं जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार पीएफसीवीए में शेष राशि ₹0.39 शून्य थीं।

सीजीआरए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूतियां, एफसीवीए और पीएफसीवीए के गत पांच वर्षों की राशियों की स्थिति नीचे सारणी XI.3 में दी गई है।

जी. *देय राशि के लिए प्रावधान*

इस मद के तहत किए गए व्यय किंतु देय और अग्रिम/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्ष में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। देय राशि 2014-15 के ₹16.81 बिलियन से बढ़कर 2015-16 में ₹32.33 बिलियन हो गई, ऐसा मुख्यतः एजेन्सी बैंकों को एजेन्सी कमीशन संबंधी सेवा कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुआ है।

एच. *भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष*

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में

सारणी XI.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफ़सीवीए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियाँ

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए*	आईआरए - विदेशी प्रतिभूतियां
1	2	3	4	5
2012	4,731.72	24.05	--	122.22
2013	5,201.13	16.99	--	24.85
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66

*: 2013-14 में खोला गया।

मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार, बीआरबीएनएमपीएल के लिए ₹10 बिलियन की अतिरिक्त पूंजी योगदान और सांविधिक निधि के लिए ₹0.04 बिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय और प्रावधानों का समायोजन करने के बाद वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹658.76 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹11.46 बिलियन की तुलना में ₹10.35 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

आई) *देय बिल*

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद की शेष राशि बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2015 के ₹0.17 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को ₹0.20 बिलियन हो गई।

जे) *विविध*

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी का नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2015 के ₹30.83 बिलियन से घटकर 30 जून 2016 को ₹28.40 बिलियन रह गई।

XI 6.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 15.92 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 को ₹17,077.16 बिलियन हो गई जबकि 30 जून 2015 को यह ₹14,732.43 बिलियन थी।

XI.7 आस्तियां

XI.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि को है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.14 बिलियन थी जबकि 30 जून 2015 को यह राशि ₹0.11 बिलियन।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 557.77 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.2 मेट्रिक टन स्वर्ण जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 265.49 मेट्रिक टन स्वर्ण की शेष राशि बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में मानी जाती है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2015 के ₹578.84 बिलियन से 14.41 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 को बढ़कर ₹662.23 बिलियन हो

गया, इसका कारण अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया में मूल्यह्रास का होना है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2015-16 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) विदेशी निवेश - बैंकिंग विभाग

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) को तुलनपत्र में निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-विदेशी-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रुप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश- विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग के आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेश- बीडी में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ, (ii) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस में जमाराशियाँ), (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार(एसडीआर) शामिल हैं।

निवेश-विदेश-आईडी में जमाराशियाँ, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.4 में दी गई है।

सारणी XI.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

	विवरण	30 जून की स्थिति	
		2015	2016
	1	2	3
I	निवेश- विदेशी- आईडी	14,082.75	16,335.92
II	निवेश- विदेशी- बीडी*	7,276.29	6,727.84
	कुल	**21,359.04**	**23,063.76**

* : बीआईएस और स्विफ्ट शीर्ष के अंतर्गत धारित शेयर और ₹100.58 बिलियन का एसडीआर मूल्य शामिल है।

टिप्पणियां :

1. भारतीय रिजर्व बैंक उधार के लिए आईएमएफ की नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत [नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले ही किये गये वायदे के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (रु 676.17 बिलियन) शामिल है] संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। परिणामस्वरूप, फरवरी 2016 में कोटा संबंधी चौदहवीं सामान्य समीक्षा के तहत आईएमएफ को बढ़े कोटा का भुगतान करने के परिणामस्वरूप एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता घटकर ₹4440.91 मिलियन (₹419.15 बिलियन/6.20 बिलियन अमरीकी डॉलर) एसडीआर रह गई जबकि पूर्व में यह ₹8,740.82 मिलियन (₹824.99 बिलियन/12.20 बिलियन अमरीकी डॉलर) थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत एसडीआर 783.99 मिलियन (₹73.99 बिलियन/1.09 बिलियन अमरीकी डॉलर) की निवेश राशि रही।
2. भारतीय रिजर्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 338.08 बिलियन) से अधिक नहीं होनी चाहिए , निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2016 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बांडों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 141.99 बिलियन) का निवेश किया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, रिजर्व बैंक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 676.17 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकता है।
4. वर्ष 2013-14 के दौरान रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिजर्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2016 को रिजर्व बैंक में एसडीआर शेष धारिता 1.07 बिलियन (₹100.58 बिलियन, 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर) थीं।
5. रिजर्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों को क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि देने की सहमति दी है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका (श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को) ने 400 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹27.05 बिलियन) और भूटान ₹6.72 बिलियन (99.34 मिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि का उपयोग किया है।

v) निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष तेल बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई खजाना बिल नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित देशी प्रतिभूतियाँ जो बैंक के निवेश के भाग के रूप में धारित थीं वह 35.71 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 के ₹5,174.97 बिलियन से 30 जून 2016 को ₹7022.85 बिलियन हो गईं। इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे (ए) चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की निवल ओएमओ खरीद का ₹1,384.38 बिलियन होना (बी) पिछले वर्ष की तुलना में 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल का स्तर कम रहने के कारण हुआ मूल्य लाभ।

vi) ऋण और अग्रिम

ए. *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलहकार समिति समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2016 और 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम ₹19.86 बिलियन था जबकि 30 जून 2015 को यह राशि ₹25.77 बिलियन थी।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :*

वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम में मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के अंतर्गत बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2015 के ₹732.48 बिलियन से 38.44 प्रतिशत की कमी के साथ 30 जून 2016 को ₹450.92 बिलियन रह गई, इसका मुख्य कारण रेपो के अंतर्गत बकाया राशि में कटौती है।

नाबार्ड को ऋण और अग्रिम: रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

अन्य को ऋण और अग्रिम: इस मद के शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 12.62 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 के 44.07 बिलियन से 30 जून 2016 को 49.63 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण रेपो के अंतर्गत बकाया राशि में वृद्धि होना था।

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोसिएट में निवेश

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्थाओं /एसोसिएट्स में धारिताओं का ब्यौरा सारणी XI.5 में दिया गया है। एनएचबी में अतिरिक्त पूंजी सब्सक्रिप्शन के चलते

सारणी XI.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोसिएट में धारिताएँ

(राशि ₹ बिलियन में)

विवरण		लागत	प्रतिशत धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.40
सी)	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	100
डी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8.00	100
कुल		**23.20**	

इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2015 के 13.20 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को 23.20 बिलियन हो गई।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास की निवल राशि), कर्मचारियों को दिए गए ऋण तथा देशी और विदेशी निवेशों पर उपचित आय,(i) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए),(ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफ़सीए) में धारित शेष राशियाँ तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि होते हैं। 'अन्य आस्तियां' में बकाया राशि 26.43 प्रतिशत बढ़ गई जो 30 जून, 2015 के ₹313.43 बिलियन रुपए से बढ़कर 30 जून, 2016 को 396.28 बिलियन रुपए हो गई जिसका मुख्य कारण स्वैप परिशोधन में वृद्धि थी।

ए) *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। एसएए खाते में बकाया राशि 64.28 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 94.33 बिलियन रुपए से 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 154.97 बिलियन रुपए हो गई क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान कोई स्वैप परिपक्व नहीं हुआ था। इस खाते में धारित राशियों को अंतर्निहित संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स कर दिया जाएगा।

बी) *वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)*

वायदा संविदा जो हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। यदि कोई निवल लाभ है तो उसे एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। वायदा संविदाओं पर दैनिक बाज़ार मूल्यों की हानि के कारण 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कोई शेष राशि नहीं थी।

XI.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.77 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.28 मेट्रिक टन भारत में जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XI.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 637.23 बिलियन रुपए से 14.41प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 729.07 बिलियन रुपए हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि एवं अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में मूल्यह्रास के कारण हुआ है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां जो 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 14,082.75 बिलियन रुपए थीं वे 16 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 16,335.92 बिलियन रुपए हो गईं। निर्गम विभाग द्वारा

सारणी XI.6: स्वर्ण की भौतिक धारिता

श्रेणी	30 जून 2015 की स्थिति	30 जून 2016 की स्थिति
	मात्रा मेट्रिक टन में	मात्रा मेट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोट को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.26	292.28*
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	265.49
कुल	**557.75**	**557.77**

* निर्गम विभाग की आस्तियों के भाग के रूप में धारित स्वर्ण 0.02 मेट्रिक टन (18688.131 फाइन ग्राम) बढ़ गया जो अधिक आरबीआई प्लेटिनम जुबिली स्वर्ण सिक्कों को स्वर्ण भंडार में अंतरण के कारण हुआ।

धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 1.99 बिलियन रुपए थी जो 14.07 प्रतिशत घटकर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 1.71 बिलियन रुपए हो गई। निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग जो बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां होती हैं, उनकी राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे रुपए 10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

XI.8 विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार,(भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और विदेशी निवेश-बैंकिंग विभाग में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा

सारणी XI.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार रुपए में

(₹ बिलियन)

घटक	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2015	2016	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	21,100.57^	22,787.43#	1,686.86	7.99
स्वर्ण	1,216.07*	1,391.30@	175.23	14.41
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	259.03	100.58	(-) 158.45	(-) 61.17
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	83.96	162.27	78.31	93.27
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	22,659.63	24,441.58	1,781.95	7.86

^ : इसमें शामिल नहीं है (ए)रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार से प्राप्त 99.08 बिलियन रुपये की एसडीआर धारिता शामिल नहीं है, इसे एसडीआर धारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) के बंडों में 133.89 बिलियन रुपए का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत श्रीलंका को उधार दी गई 25.50 बिलियन रुपए की राशि।

: इसमें शामिल नहीं है (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता जो 100.58 बिलियन रुपए है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में 141.99 बिलियन रुपए के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत श्री लंका को उधार दिए गए 27.04 बिलियन रुपए तथा भूटान को उधार दिए गए 6.72 बिलियन रुपए की राशि।

* : इसमें से 637.23 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और 578.84 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

@ : इसमें से 729.07 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और 662.23 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): अमरीकी डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2015	2016	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	331.55*	339.04**	7.49	2.26
स्वर्ण	19.07	20.58	1.51	7.92
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.06	1.49	(-) 2.57	(-) 63.30
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति *	1.32	2.40	1.08	81.82
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	356.00	363.51	7.51	2.11

* : निम्नलिखित को छोड़कर (क) भारत सरकार से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहित 1.55 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एसडीआर, जिसे एसडीआर होल्डिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत श्री लंका से प्राप्त 0.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एलकेआर।

** : निम्नलिखित को छोड़कर (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग कुल 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) के बांड में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत श्री लंका को दिए गए 0.4 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एलकेआर उधार तथा भूटान को आईएनआर करेंसी के समतुल्य दिए गए 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2015 एवं 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XI.7 ए एवं बी) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XI.9 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटक ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और अन्य मदें हैं जिसमें (i) डिस्काउंट(बट्टा), (ii) विनिमय, (iii) कमीशन, (iv) प्राप्त किराया, (v) बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा (vi) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध, शामिल हैं। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा

सारणी XI.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ बिलियन)

मद	30 जून		घटबढ़	
	2014-15	2015-16	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	21,359.04	23,063.76	1,704.72	7.98
औसत एफसीए	18,909.29	22,229.65	3,320.36	17.56
एफसीए से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	257.44	287.13	29.69	11.53
एफसीए से एफसीए के औसत प्रतिशत के रूप में अर्जन	1.36	1.29	(-)0.07	(-) 5.14

अपेक्षाकृत कम रहता है। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रेपो से प्राप्त ब्याज, विनिमय लाभ निवल आधार पर होते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XI.10 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2014-15 के 257.44 बिलियन रुपए से 11.53 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में 287.13 बिलियन रुपए हो गई, जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के आकार में बढ़ोतरी होना रहा, जो 30 जून 2015 को यथास्थिति 21,359.04 बिलियन रुपए से बढ़कर 30 जून 2016 को यथास्थिति 23,063.76 बिलियन रुपए हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2015-16 में निम्नतर अर्थात् 1.29 प्रतिशत थी, जबकि 2014-15 में 1.36 प्रतिशत थी, जिसका कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों में आई गिरावट थी।

घरेलू स्रोतों से आय

XI.11 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2014-15 के 535.12 बिलियन रुपए से 2.53 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 521.57 बिलियन रुपए हो गई जिसका मुख्य कारण (i) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ,(ii) एलएएफ लेनदेन से प्राप्त होने वाले निवल ब्याज एवं ऋण और (iii) अग्रिमों से प्राप्त होने वाले ब्याज में गिरावट होना रहा है।

XI.12 रुपया प्रतिभूति धारण करने से प्राप्त होने वाला ब्याज गत वर्ष के 436.30 बिलियन रुपए की तुलना में 2015-16 में सीमांत रूप से कम अर्थात् 430.79 बिलियन रुपए था। इसका कारण 2014-15 की तुलना में 2015-16 में रुपया प्रतिभूतियों का निम्नतर दैनिक औसत शेष था और उसके परिणामस्वरूप निम्नतर कूपन आय था। जुलाई से नवंबर 2015 के दौरान खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की नियमित बिक्री के कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता में अत्यधिक गिरावट आई। वर्ष के उत्तरार्ध में ओएमओ खरीद के कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता बढ़ी।

XI.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से होने वाली निवल ब्याज आय (रेपो ओर एमएसएफ से प्राप्त होने वाले ब्याज में रिज़र्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो हेतु प्रदत्त ब्याज को घटाकर) 2014-15 के 30.17 बिलियन रुपए से 78.85 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 6.38 बिलियन रुपए रह गई। एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय में गिरावट का कारण 2014-15 की तुलना में 2015-16 में रिवर्स रेपो के अंतर्गत ब्याज भुगतान के संबंध में किया गया उच्चतर व्यय था।

XI.14 प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाला लाभ 2014-15 के 139.15 बिलियन रुपए की तुलना में 84.42 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 21.68 बिलियन रुपए रह गया। इसका मुख्य कारण दिसंबर 2014 से भारत सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष के प्रबंधन की पद्धति में परिवर्तन था।

XI.15 तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता की प्रस्तुत करने के ढांचे की समीक्षा के संबंध में तकनीकी समिति की रिपोर्ट के पैरा 5.2.6 में बताए गए अनुसार, जब भारत सरकार के पास अतिरिक्त नकदी शेष था तब इस शेष के कुछ अंश का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिभूति खरीदने के लिए किया गया था और जब सरकार को उपयोग हेतु इस अतिरिक्त निधि की

आवश्यकता पड़ी तब सरकार को बेची गई इन प्रतिभूतियों को रिज़र्व बैंक द्वारा वापस क्रय किया गया। ये लेनदेन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर किए गए और इसके लिए उस तारीख के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया, और अंकित मूल्य एवं बही मूल्य के बीच अंतर की वजह से की जाने वाली बिक्री से होने वाले लाभ या हानि को लाभ/हानि के रूप में लिया गया। तथापि, दिसंबर 2014 से इन लेनदेनों को रिवर्स रेपो लेनदेनों के रूप में माना गया, अतः,कोई लाभ दर्ज नहीं किया गया है।

XI.16 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति में जैसा उल्लेख किया गया है, अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान रुपया प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/डिस्काउंट को 'रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट' खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2015-16 हेतु 'रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम और डिस्काउंट' के अंतर्गत दर्ज आय 42.58 बिलियन रुपए थी।

XI.17 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. *केंद्र और राज्य सरकार:*

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 30 जून 2015 को यथास्थिति 4.73 बिलियन रुपए से 57.93 प्रतिशत घटकर 30 जून 2016 को यथास्थिति 1.99 बिलियन रुपए रह गई। जुलाई 2015 से जून 2016 के दौरान केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2014-15 की उसी अवधि के 3.57 बिलियन रुपए की तुलना में निम्नतर अर्थात् 0.81 बिलियन रुपए रही। ब्याज आय में यह गिरावट गत वर्ष में 19 दिनों के ओडी की तुलना में 2015-16 में डब्ल्यूएमए के निम्नतर औसत उपयोग की वजह से थी। जहां तक राज्यों का संबंध है, जुलाई 2015 से जून 2016 हेतु डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ पर प्राप्त ब्याज 2014-15 की उसी अवधि के 1.16 बिलियन रुपए की अपेक्षा सीमांत रूप से अधिक अर्थात् 1.18 बिलियन रुपए था। इसका कारण 2015-16 में राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ के दैनिक औसत उपयोग में मामूली वृद्धि है।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं:*

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2014-15 के 8.87 बिलियन रुपए से घटकर 2015-16 में 1.58 बिलियन रुपए रह गया जो मुख्य रूप से निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना को बंद करने की वजह से हुआ।

सी. कर्मचारी

कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज 2014-15 के 0.46 बिलियन रुपए से मामूली रूप से घटकर 2015-16 में 0.41 बिलियन रुपए रह गया।

अन्य आमदनी

XI.18 घरेलू स्रोतों से होने वाली अन्य आमदनी 2014-15 के 13.72 बिलियन रुपए से 17.78 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में 16.16 बिलियन रुपए हो गई जो मुख्य रूप से कमीशन आय में वृद्धि की वजह से हुआ। कमीशन आय में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई (i) 2015-16 के दौरान राज्यों द्वारा बाजार से लिए गए उधार में वृद्धि की वजह से निर्गमन प्रभार का बढ़ना (ii) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की बकाया राशि पर प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि।

व्यय

XI.19 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे- एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खज़ाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 2015-16 में 12.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 149.90 बिलियन रुपए रहा, जबकि 2013-14 में यह 133.56 बिलियन रुपए था, जो मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुआ।

(i) ब्याज

2015-16 के दौरान ब्याज के रूप में रु. 0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के आश्रितों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

सारणी XI.9: घरेलू स्रोतों से आय

(बिलियन रुपए)

मद	2014-15	2015-16	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I + II+III)	**535.12**	**521.57**	**-13.55**	**-2.53**
I. घरेलू प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	436.30	430.79	-5.51	-1.26
ii) मूल्यह्रास #	(-)98.28	0.00	98.28	100.00
iii) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	139.15	21.68	-117.47	-84.42
iv) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/बट्टा	0.00	42.58	42.58	-
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	28.29	5.06	-23.23	-82.11
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	1.88	1.32	-0.56	-29.79
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***507.34***	***501.43***	***-5.91***	***-1.16***
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	4.73	1.99	-2.74	-57.93
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	8.87	1.58	-7.29	-82.19
iii) कर्मचारी	0.46	0.41	-0.05	-10.87
उप जोड़ (i+ii+iii)	***14.06***	***3.98***	***-10.08***	***-71.69***
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	13.38	15.31	1.93	14.42
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है और विविध	0.34	0.85	0.51	150.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	***13.72***	***16.16***	***2.44***	***17.78***

2014-15 तक, रुपया प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन बही मूल्य या बाजार मूल्य के न्यूनतर मूल्य (एलओबीओएम) के आधार पर किया गया था और मूल्यह्रास को आय की तुलना में समायोजित किया गया। तथापि, 2015-16 से, तकनीकी समिति I और II की सिफारिश के आधार पर रुपया प्रतिभूतियों का लेनदेन उचित मूल्य पर किया जाता है और बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हुए लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) में दर्ज किया जाता है।

सारणी XI.10: व्यय

(रुपए बिलियन में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.59	0.03	0.04	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	29.93	58.59	43.24	40.58	44.77
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	33.51	28.07	33.25	30.45	47.56
iv. नोटों का मुद्रण	27.04	28.72	32.14	37.62	34.21
v. प्रावधान*	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
vi. अन्य	10.30	10.08	10.67	14.90	13.35
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**101.37**	**125.49**	**119.34**	**133.56**	**149.90**

* बैंक के तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते के ढांचे की समीक्षा के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर 2014-15 में नया शीर्ष जोड़ा गया।

(ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2014-15 के रु. 40.58 बिलियन से 10.33 प्रतिशत बढकर 2015-16 में रु. 44.77 बिलियन हो गई, जो वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण हुआ।

(iii) एजेंसी प्रभार

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा दुकान के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित

किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2014-15 के रु. 29.63 बिलियन से 58.39 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में रु. 46.93 बिलियन हो गया, जो सरकारी व्यय के साथ पेंशन एरियर में वृद्धि और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर एवं गैर-कर प्राप्तियों तथा एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान के उच्चतर स्तरों के कारण हुआ।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिज़र्व बैंक द्वारा 2015-16 के दौरान रु. 0.35 बिलियन कुल हामीदारी कमीशन का भुगतान किया गया जबकि 2014-15 में रु. 0.33 बिलियन का भुगतान किया गया था। 2015-16 के दौरान हामीदारी कमीशन उधार में अत्यधिक वृद्धि (2014-15 के रु. 5740 बिलियन की तुलना में रु. 5850 बिलियन) के कारण मामूली रूप से अधिक था। जन-मार्च 2016 तिमाही में, उदय बांड के निर्गम, व्यापक एसडीएल निर्गम, समान पद समान पेंशन (ओआरओपी) तथा 7वें वेतन आयोग के राजकोषीय प्रभाव के कारणों से आय में वृद्धि की वजह से भी हामीदारी कमीशन अत्यधिक हुआ।

सी. *अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

2015-16 के दौरान विदेशी अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2014-15 के रु. 0.49 बिलियन की तुलना में घटकर रु. 0.27 बिलियन रह गया।

iv) नोट मुद्रण

नोटों के मुद्रण पर हुआ खर्च 2014-15 के रुपए 37.62 बिलियन से 9.06 प्रतिशत घटकर 2015-16 में रुपए 34.21 बिलियन रह गया, जो मुख्य रूप से 2015-16 के दौरान खासतौर से उच्चतर मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की समग्र आपूर्ति में गिरावट तथा बीआरबीएनएमपीएल द्वारा दरों में कमी किए जाने से हुआ।

v) अन्य

अन्य खर्च 2014-15 के रु. 14.90 बिलियन से 10.41 प्रतिशत घटकर 2015-16 में रु. 13.35 बिलियन रह गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से बैंकिंग विकास योजना पर किया गया खर्च 2014-15 के रु. 3.03 बिलियन से घटकर 2015-16 में रु. 0.89 बिलियन रह जाने की वजह से हुआ।

vi) प्रावधान

2015-16 में, 30 जून 2016 को रु. 10 बिलियन का प्रावधान किया गया था और उसे बीआरबीएनएमपीएल की अतिरिक्त शेयर पूंजी में अंशदान के लिए आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में स्थानांतरित किया गया।

आकस्मिक देयताएं

XI. 20 रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, 2015-16 की शुरूआत से रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताएं प्रकट की जा रहीं हैं। प्रकटीकरण के लिए केवल 1,00,000 रुपए और अधिक की आकस्मिक देयताओं पर विचार किया गया है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयताएं 1.30 बिलियन रुपए रही। आकस्मिक देयता का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर की वजह से है। बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता गत वर्ष के 1.08 रुपए बिलियन की तुलना में 30 जून 2016 को यथास्थिति 1.14 बिलियन रुपए थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती

हैं। 0.16 बिलियन रुपए की शेष राशि स्टाफ विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं को किए गए ऐसे बकाया भुगतान की वजह से है जो विवादित हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XI.21 रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, 2015-16 की शुरूआत से, पूर्व अवधि के लेनदेनों को प्रकट किया गया है। पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल 1,00,000 रुपए और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः 11.47 बिलियन रुपए एवं 0.03 बिलियन रुपए थे। 11.47 बिलियन रुपए में से 10.64 बिलियन रुपए वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए एजेंसी बैंकों पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान की वजह से है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XI.22 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XI.23 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2015-16 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, मुंबई एवं मेसर्स बोरकर एंड मजुमदार, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एम.चौधरी एंड कंपनी, मेसर्स ब्रह्मय्या एंड कंपनी तथा मेसर्स वी.के.वर्मा एंड कंपनी द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।